प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 10.10.2021

फायरिंग कर भाग रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद तमंचा, 03 कारतूस व एक बुलेट मोटर साइकिल बरामद (थाना रानीगंज)–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 09.0.2021 को थानाध्यक्ष रानीगंज श्री अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के पावर हाउस तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति फायरिंग कर, बुलेट मोटर साइकिल पर सवार होकर इधर आ रहे है, तभी बुलेट मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वे पहले ही मोटर साइकिल रोक कर दादूपुर की तरफ भागने का प्रयास किये, इस पर पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जबकि 01 व्यक्ति मोटर साइकिल पर से कूदकर भाग निकला। पकड़े गये व्यक्ति 01. फरदीन खान पुत्र आफताब खान नि0 पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 02 दिलशाद पुत्र आवाद अली नि0 पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से एक अदद तमंचा, 03 अदद कारतूस व 01 अदद बुलेट मोटर साइकिल बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. फरदीन खान पुत्र आफताब खान नि0 पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. दिलशाद पुत्र आवाद अली नि0 पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी–

01. एक अदद तमंचा 315 बोर।
02. दो अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर।
03. एक अदद बुलेट मोटर साइकिल नं0 यूपी 53 सीजेड 5233।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में बताया कि जो मौके से फरार हो गया, वह हमारा साथी था। उसी के कहने पर हम लोग उसके एक रिश्तेदार ग्राम दरियापुर पावर हाउस में रहते है, के यहां आये थे हम तीनों के अलावा हमारे लगभग 10 साथी वहां पहले से मौजूद थे, जिन्हें हमारे साथी(जो मौके से फरार हो गया) ने बुलाया था। ग्राम दरियापुर पावर हाउस में उसके रिश्तेदार के पड़ोसी से उनका जमीनी विवाद है, उसी विवादित जमीन पर उनका पड़ोसी मकान बनबा रहा है, जिसे हम लोगों ने कहा कि मकान मत बनवाओं पर वह नहीं माना इस पर हमारे साथी(जो मौके से फरार हो गया) ने उन पर फायर कर दिया पर गोली उसे नहीं लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग हम लोगों को दौड़ा लिये ओर हम लोग पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 555/2021 धारा 147, 148, 149, 504, 506, 307 भादवि बनाम सभी अभियुक्त।
02. मु0अ0सं0 556/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम फरदीन खान उपरोक्त।
03. मु0अ0सं0 557/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिलशाद उपरोक्त।

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी इरफान अहमद, आरक्षी रवि सिंह व आरक्षी यतेन्द्र थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।